डीवी सहगल से पहले जे.

देविंदर सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या1984 का 746.

29 फ़रवरी 1988.

पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), जिलापीएस राज्य सेवा वर्ग III नियम,1955—नियम 10 और परिशिष्ट 'बी'—पंजाब सरकार लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) प्रशासन मैनुअल—पैरा 6.6—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 162—अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सिफारिश पर नियुक्त उम्मीदवार जिलेदार—ऐसे उम्मीदवार विभागीय ज़िलेदार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रशिक्षण के तहत आवश्यक - लिखित परीक्षा आयोजित - मौखिक परीक्षा स्थगित कर दी गई और लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद आयोजित की गई - केवल लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को ही बुलाया गया - साक्षात्कार को स्थगित करना और केवल चयन सूची के उम्मीदवारों को बुलाना -क्या चयन को प्रभावित करता है - मौखिक परीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में एक उप-समिति की सहायता के लिए सर्कल के डिप्टी कलेक्टर को नियम के तहत आवश्यक है - डिप्टी कलेक्टर की गैर-सहयोगिता - चयन पर प्रभाव। कहा गया - चयन - क्या शून्य - समिति के संविधान को चुनौती देने का अधिकार - क्या उपस्थित होने से अधिकार समाप्त हो जाता है - लिखित परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों के वेतन भुगतान पर रोक - क्या वैध है।

आयोजित,पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) जिलेदार के राज्य सेवा वर्ग III नियम, 1955 का पैरा 6.6 प्रशासन मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत नहीं चलता है।

(पैरा 25)

आयोजित,यदि याचिकाकर्ताओं को उनके पदनाम वाले व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिन्होंने मौखिक परीक्षा के लिए समिति का गठन किया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें से कुछ जो उक्त परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्होंने इस समिति के संविधान को चुनौती देने का अपना अधिकार छोड़ दिया था। आधार यह है कि एक डिप्टी कलेक्टर ने समिति की सहायता नहीं की और वास्तव में वह मौखिक परीक्षा के लिए समिति से जुड़ा नहीं थापरीक्षण.(पैरा 28)

आयोजित,कि यदि स्वयं का मुख्य अभियंता उम्मीदवार ज़िलेदारों के मौखिक परीक्षा में बैठने के अधिकार को कम नहीं कर सका। यदि मौखिक परीक्षा को केवल उन अभ्यर्थियों तक सीमित रखने का इरादा होता, जिन्होंने पिछले तीन विषयों में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की होती, तो इस आशय का एक निश्चित प्रावधान किया गया होता।

(पैरा 31).

आयोजित,कि मौखिक परीक्षा को स्थगित करके, पहले तीन लिखित परीक्षाओं का परिणाम सुरक्षित करके फिर मौखिक परीक्षा आयोजित करके, जिलादारी परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा न बुलाकर, और एक डिप्टी कलेक्टर को संबद्ध न करके उक्त परीक्षा आयोजित करने वाली उप-समिति में मौखिक परीक्षा में सहायता के लिए, परीक्षा का परिणाम शून्य घोषित कर दिया गया और इसलिए, रद्द किया जा सकता है। (पैरा 32)

आयोजित,जब तक चयनित उम्मीदवार का नाम सूची से नहीं हटाया जाता है, तब तक वह नियमों के परिशिष्ट 'ए' में निर्धारित वजीफा/नियत वेतन के भुगतान का हकदार है। वह नियमों के नियम 14 द्वारा निर्धारित जिलादार उम्मीदवार के पद पर सेवा के सदस्य के रूप में बने रहेंगे। वास्तव में, नियम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि यदि किसी जिलादार उम्मीदवार का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया जाता है, तो उसे एक बार फिर जिलादारी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। जब उत्तरदाताओं ने सभी असफल उम्मीदवारों को एक बार फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी तो उन्होंने इन सभी व्यक्तियों को जिलादार उम्मीदवार के रूप में माना। वे सेवा के बहुत सदस्य थे और नियमों के परिशिष्ट 'ए' द्वारा प्रदान किए गए उनके वजीफे/निश्चित वेतन से उन्हें इनकार नहीं किया जा सकता था।

(पैरा 35)

अनुच्छेद के तहत याचिकाभारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देशित करते हुए एक उत्प्रेषण रिट, परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए: -

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करना;

(ii) उत्तरदाताओं के चयन को रद्द करने के लिए3 से 63;

(हाय) अनुलग्नक 'पी-2' और 'पी-5' पर दिए गए आदेशों को रद्द किया जाए;

(iv) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे;

(v) यह माननीय न्यायालय वरिष्ठता, बकाया वेतन आदि की प्रकृति में सभी परिणामी राहतें भी दे सकता है;

(vi) मूल अनुलग्नकों को दाखिल करने से मुक्ति दी जाए;

(vii)इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जा सकती है।

सीएम नं.1987 का 1050.

आदेश के तहत आवेदन1 नियम 10, धारा 151 सीपीसी के साथ पढ़ें, जिसमें प्रार्थना की गई है कि ऊपर नामित आवेदक को न्याय के हित में याचिकाकर्ताओं में से एक के रूप में रिट याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाए,

याचिकाकर्ताओं के लिए जेएल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता (टीएस ढींडसा, उनके साथ वकील) (अन्य रिट याचिकाओं में)।

8. एस. मलिक, अतिरिक्त. एजी हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए, 1 और 2।

दीपक अग्निहोत्री, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए, 3, 4, 6 से 13, 15 से 21, 23, 25, 28, 32 से 36, 51, 56 से 59, 61 और 63।

9. कपिल शर्मा, आरके महाजन के साथ एन शर्मा।

निर्णय

डीवी सहगल, जे.

यह निर्णय सीडब्ल्यूपी का निपटान करेगा। 1983 की संख्या 4903; 1984 के 730, 746, 3794 और 4047; और 1985 का 4594 और 5646; 1986 का 677 और 1421; और 1987 का 129। ये सभी रिट याचिकाएँ तथ्यों के एक ही सेट से उत्पन्न होती हैं लेकिन उनके कालानुक्रमिक क्रम में विभिन्न चरणों से संबंधित हैं। हालाँकि, कानून और उनमें शामिल तथ्य दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्न आम हैं। हालाँकि, पार्टियों, दलीलों और दस्तावेजों का संदर्भ 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 746 से किया जाएगा जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

(2) अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा (संक्षेप में 'बोर्ड') ने वर्ष 1978 और 1979 में दो विज्ञापन जारी कर सिंचाई विभाग, हरियाणा में जिलादारों के क्रमशः 20 पदों और 60 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। 1979 का विज्ञापन संख्या 9 22 दिसंबर 1979 को प्रकाशित हुआ था और यह अनुलग्नक पी. 1 है। इन विज्ञापनों के जवाब में, याचिकाकर्ताओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया था। अन्य आवेदकों के बीच उनका साक्षात्कार लिया गया और अंततः बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं सहित 205 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की। तदनुसार सिफारिश मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 2 को भेजी गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन सभी के पास अपेक्षित योग्यताएं थीं। वे स्नातक हैं और उन्हें मैट्रिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान है।

(3) मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, प्रतिवादी नंबर 2, ने अपने पत्र दिनांक 3 मार्च, 1982 के माध्यम से 79 ऐसे उम्मीदवारों की एक सूची प्रसारित की, जिन्हें रुपये के निश्चित वेतन पर प्रशिक्षण पर जिलादार उम्मीदवारों के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने तक 550 प्रति माह। उन्होंने 126 प्रत्यक्ष उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की, - 12 मार्च, 1982 के अपने पत्र के माध्यम से उन्हें समान वेतन पर प्रशिक्षण के तहत उम्मीदवार जिलादार के रूप में नियुक्त किया। इन सूचियों में याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल थे। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा अनुशंसित सभी 205 उम्मीदवारों को मुख्य अभियंता, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नियुक्त किया गया था।

(4) हरियाणा पीडब्ल्यूडी (सिंचाई शाखा) में जिलादारों की भर्ती और सेवा की शर्तें पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), जिलादारों की राज्य सेवा द्वारा शासित होती हैं। कक्षा III, नियम 1955 (संक्षेप में 'नियम'), पैरा में निहित है

7.32 पंजाब सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), प्रशासन मैनुअल (संक्षेप में 'प्रशासन मैनुअल')। नियम 6, अन्य बातों के अलावा, प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि, सीधे उम्मीदवारों के मामले में, उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री परीक्षा या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो। नियम 8 में कहा गया है कि सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियाँ मुख्य अभियंता द्वारा की जाएंगी। प्रत्यक्ष उम्मीदवारों से संबंधित नियम 10 के प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं: -

"10. भर्ती की विधि :

(a) सेवा में प्रारंभिक नियुक्तियाँ उम्मीदवार जिलादारों के ग्रेड पर की जाएंगी।

(b) नियुक्तियों से पहले, प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन ---- में से किया जाएगा।

(1) प्रत्यक्ष उम्मीदवार.

(डी) चयनित उम्मीदवारों को परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उसमें निर्धारित परीक्षा और परीक्षण उत्तीर्ण करने पर पद उपलब्ध होने पर परिवीक्षा पर जिलादार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

नियम 10 (डी) में निर्दिष्ट नियमों के परिशिष्ट बी में नियुक्ति के लिए जिलादार उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। ज़िलादार और, अन्य बातों के अलावा, इस प्रकार बताते हैं-

नियम 10 (डी) के तहत अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रशिक्षण से गुजरना होगा: -

(डी) प्रत्यक्ष उम्मीदवार:

1. खतौनियाँ।
2. नहर अधिनियम.
3. राजस्व नियमावली.
4. ***मौखिक परीक्षा।***

चयनित जिलादारों के अधीन छह महीने का प्रशिक्षण, इस अवधि के दौरान उन्हें इस मैनुअल के पैराग्राफ 7.34 के नियम 12 में निर्दिष्ट पटवार की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस अवधि के अंत में उन्हें कम से कम एक पूरी फसल के लिए, अर्थात 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, या 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, या यदि आवश्यक हो तो इससे अधिक समय तक, यह सुनिश्चित करने के लिए एक पटवारी अनुभाग का प्रभार रखना होगा। खतौनियों आदि की तैयारी के साथ अंतिम माप लें। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उन्हें मार्जिन में उल्लिखित परीक्षणों में एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंकों का 50 प्रतिशत से कम और 66 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी भी अभ्यर्थी को विशेष कारणों को छोड़कर इस परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके अभाव में असफल होने वाले अभ्यर्थियों के नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची से हटा दिए जाएंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें भूमि राजस्व विभाग में क्वानुंगो के तहत लगभग चार महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण से गुजरना होगा और अंतिम स्वीकृति इस प्रशिक्षण के परिणाम पर निर्भर करेगी। यदि परिवीक्षा पर कार्यवाहक जिलादार के रूप में नियुक्त किया जाता है या अंततः 'उम्मीदवार जिलादार' के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वे उस सर्कल में अतिरिक्त राजस्व क्लर्क होंगे, जिससे वे जुड़े हुए हैं।

(2) प्रशिक्षण, परीक्षा और ज्वाइनिंग समय की उपरोक्त अवधि के दौरान, सभी प्रत्यक्ष उम्मीदवारों को रुपये का निर्वाह भत्ता मिलेगा। 45 प्रति माह.

यह भत्ता उस अवधि के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा जब वे जिलादार के रूप में कार्य करते हैं या परिवीक्षा पर जिलादार के रूप में नियुक्ति के बाद।

उपरोक्त परिशिष्ट बी में बनाए गए "इस मैनुअल" के पैराग्राफ 7.34 का संदर्भ निस्संदेह प्रशासन मैनुअल के संबंधित पैराग्राफ से है, जिसमें पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), पटवारियों की सेवा, श्रेणी III, नियम, 1955 शामिल हैं। और पटवार की जांच निर्धारित करें। यह आगे नहीं है

विवाद है कि इसका निर्वाह भत्ता. परिशिष्ट बी के खंड (डी) के उप-पैरा 2 में उल्लिखित 45 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर रुपये कर दिया गया है। 550 प्रति माह.

(5) प्रशासन नियमावली का अध्याय VI लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) में विभिन्न सेवाओं के नए पदधारियों की परीक्षा और प्रशिक्षण के लिए 3 VI अनुभाग बनाता है। इसका पैरा 6.6 जिलादार उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का प्रावधान करता है और इसका निम्नलिखित प्रभाव है: -

"6.6. परीक्षा जोर जिलादार उम्मीदवार:

पैराग्राफ 7.32 के तहत परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट जिलादार उम्मीदवारों के लिए परीक्षा समूह प्रणाली पर आयोजित की जाएगी और निम्नलिखित प्रक्रिया देखी जाएगी: -

(1) इस परीक्षा के प्रयोजन के लिए मंडलों को निम्नानुसार तीन समूहों में विभाजित किया जाएगा: -

(a) पश्चिमी समूह - फिरोजपुर नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर और सरहिंद नहर सर्कल से जुड़े उम्मीदवारों के लिए।

(b) केंद्रीय समूह - प्रथम भाखड़ा मेन लाइन, नरवाना, भाखड़ा बांध, निर्माण और संयंत्र डिजाइन निदेशालय और नंगल सर्कल से जुड़े उम्मीदवारों के लिए।

(c) पूर्वी समूह - पश्चिमी जमना नहर (पूर्व) से जुड़े उम्मीदवारों के लिए। पश्चिमी जमना नहर (पश्चिम) और दूसरा भाखड़ा मेन लाइन सर्कल।

(2) प्रत्येक समूह में सर्कल के अधीक्षण अभियंता ऊपर दिए गए सर्कल के क्रम में या आपसी व्यवस्था के अनुसार रोटेशन में प्रत्येक समूह के लिए परीक्षा समिति बुलाएंगे।

(3) समिति में बोर्ड के संयोजक अधीक्षण अभियंता, अध्यक्ष के रूप में, एक कार्यकारी अभियंता और उनके सर्कल से एक डिप्टी कलेक्टर शामिल होंगे, जिन्हें उनके द्वारा नामित किया जाएगा।

(4) परीक्षा आम तौर पर वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में ऐसी तारीखों, समय, केंद्र और स्थान पर आयोजित की जाएगी जो अधीक्षण अभियंता द्वारा तय की जा सकती है जिनकी समिति बुलाने की बारी है।

अप्रैल या अक्टूबर में किसी परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक उम्मीदवार को क्रमशः 1 फरवरी या 1 अगस्त तक ऐसा करने की अनुमति के लिए अपने प्रभागीय अधिकारी को आवेदन करना चाहिए।

संभागीय अधिकारी ऐसे आवेदनों को क्रमशः 15 फरवरी या 15 अगस्त तक अपने अधीक्षण अभियंता को प्रेषित करेंगे।

प्रत्येक सर्कल के अधीक्षण अभियंता क्रमशः 1 मार्च या 1 सितंबर तक उम्मीदवारों के नाम उस समूह के परीक्षक को रिपोर्ट करेंगे, जिनकी बारी परीक्षा की व्यवस्था और पर्यवेक्षण करने की है।

(5) उपरोक्त खंड (2) के अनुसार, या अन्यथा मुख्य अभियंता द्वारा निर्देशित अनुसार, प्रत्येक समूह के लिए परीक्षा केंद्र उस समूह के भीतर रोटेशन में सर्कल मुख्यालय होगा।

(6) खंड (2) द्वारा निर्धारित सर्कल के अधीक्षण अभियंता खंड (3) के तहत उनके द्वारा चयनित कार्यकारी अभियंता और उप कलेक्टर की सहायता से परीक्षा की निगरानी भी करेंगे।

(7) पेपर परीक्षक द्वारा सेट किए जाएंगे और उनकी सहायता के लिए उनके द्वारा चुने गए कार्यकारी अभियंता और डिप्टी कलेक्टर द्वारा जांच की जाएगी और पेपर सेट करने वाले अधिकारी द्वारा

चिह्नित किया जाएगा, परीक्षक द्वारा जांच के बाद अंक संशोधन के अधीन होंगे।

(8) प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित किये जायेंगे। नहर अधिनियम और राजस्व मैनुअल पेपर छह प्रश्नों के होंगे और प्रत्येक पेपर के लिए दो घंटे की समय सीमा होगी। खतौनी पेपर के लिए समय सीमा 3 घंटे होगी।

(9) परीक्षक द्वारा परिणाम मुख्य अभियंता और संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को सूचित किया जाएगा।

(10) पैराग्राफ 7.32 के तहत संदर्भित परिशिष्ट बी में निर्धारित परीक्षा में किसी की उपस्थिति की शर्त को आम तौर पर सख्ती से लागू किया जाएगा। बीमारी के कारण असफलता का बहाना तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उम्मीदवार समय पर उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे और परीक्षक को संतुष्ट न कर दे कि वह उपस्थित होने के लिए अयोग्य है।

यदि कोई अधीक्षण अभियंता अनुशंसा करता है कि किसी उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा अवसर दिया जाए तो उसे उसी समय उम्मीदवार के सामान्य कार्य और बेहतर राजस्व प्रतिष्ठान में नियुक्ति के लिए संभावित उपयुक्तता के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। किसी उम्मीदवार को दूसरा मौका देने का कोई मतलब नहीं है यदि वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा ज़िलेदार बनने की संभावना नहीं रखता है।

(11) एक वर्ष के बाद परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए जैसे ही परिणाम संबंधित मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को सूचित किया जाएगा।

(6)इसमें कोई विवाद नहीं है कि नियम और प्रशासन नियमावली के प्रावधान पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पहले लागू थे और 1 नवंबर, 1966 से हरियाणा राज्य में भी लागू हैं, जब यह राज्य अलग हुआ था। और अस्तित्व में आया. इस प्रकार, प्रशिक्षण के तहत उम्मीदवार जिलेदार के रूप में शामिल होने वाले उम्मीदवार पटवार की परीक्षा में उपस्थित हुए। इसका परिणाम 20 अक्टूबर, 1982 को घोषित किया गया। परीक्षा में उपस्थित कुल 188 उम्मीदवारों में से केवल 74 को पूरी तरह से सफल घोषित किया गया। शेष उम्मीदवारों को परीक्षा के दिए गए पेपरों में फिर से उपस्थित होना आवश्यक था। दोबारा परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी भी सफल घोषित किये गये। इस प्रकार पटवार की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को छह महीने की अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से पटवारी हल्का के रूप में काम करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता उन लोगों में से थे जिन्होंने पटवारी की परीक्षा उत्तीर्ण की और आवश्यकतानुसार स्वतंत्र रूप से पटवारी के रूप में काम किया।

(7) द्वारा निर्धारित विभागीय जिलादारी परीक्षा में शामिल होने के लिए उन अभ्यर्थियों को सक्षम बनाना जो पटवार की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिनके पास पटवारी हल्का का स्वतंत्र प्रभार है।

देविंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(डीवी सहगल, जे.)

नियमों के परिशिष्ट बी में मुख्य अभियंता प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 9 मई, 1983 के अनुलग्नक पी. 3 के माध्यम से इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए तिथि-पत्र तय किया और पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया। निर्धारित तिथि-पत्र निम्नलिखित प्रभाव के लिए था: -

क्रमांक दिनांक समय पेपर का नाम।

1. 25 जून, 1983 प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक खतौनी।
2. 26 जून, 1983 प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक नहर अधिनियम।
3. 27 जून, 1983 प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक राजस्व नियमावली।
4. 28 जून, 1983 प्रातः 8 बजे से। मौखिक परीक्षा (मौखिक परीक्षा संबंधित केंद्रों के परीक्षा पर्यवेक्षकों द्वारा उनके सर्कल के डिप्टी कलेक्टर की सहायता से आयोजित की जाएगी)।

(8) निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाए गए केंद्रों के पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। मंडलों के प्रशिक्षु अभ्यर्थी जिलादारों को उल्लिखित केंद्र में उपस्थित होना आवश्यक था

'टिप्पणियाँ' कॉलम : -

क्र. नहीं।	***केंद्र का नाम*** पर्यवेक्षक	***टिप्पणी*** ***मंडलियों का नाम***/ प्रभाग
1.	श्री एके माई- दिल्ली होत्रा, अधीक्षण अभियंता, डब्ल्यूजेसी (पूर्व) सर्कल, दिल्ली।	(i) डब्ल्यूजेसी फीडर/गुड़गांव कैनाल सर्कल, दिल्ली। (ii) डब्ल्यूजेसी (पूर्व) सर्कल, दिल्ली का दिल्ली डिवीजन। (iii) हरियाणा संभाग। डब्ल्यूजेसी (पश्चिम) सर्कल, रोहतक का आयन। (iv) डब्ल्यूजेसी (पश्चिम) सर्कल, रोहतक का रोहतक डिवीजन।
2.	श्री बीआर चो- कैथल पीआर, अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा कैनाल सर्कल, कैथल।	(i) भाखड़ा नहर सर्कल, कैथल। (ii) डब्ल्यूजेसी का करनाल डिवीजन, ईस्ट सर्कल। (iii) डब्ल्यूजेसी का दादूपुर डिवीजन, पूर्वी सर्कल। (iv) डब्ल्यू.जे.सी. का जिंद डिवीजन, वेस्ट सर्कल, रोहतक।
3.	श्री आर.के. भा- टिया, अधीक्षण अभियंता- नीर, हिसार, भाखड़ा नहर	हिसार (जे) हिसार भाखड़ा नहर सर्किल- सीएल, हिसार. (ii) सिरसा भाखडा नहर परिक्षेत्र- सीएल, सिरसा। (iii) भिवानी सिंचाई सर्किल-

सर्कल,हिसार.

सीएल,भिवानी।

(iv) डब्ल्यूजेसी (पश्चिम) सर्कल, रोहतक का भिवानी सिंचाई प्रभाग।

उपरोक्त तीनों केन्द्रों पर 179 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए। हालाँकि, समय-सारणी के अनुसार 28 जून, 1983 को निर्धारित मौखिक परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसे बाद में 26 और 28 अगस्त, 1983 के लिए तय किया गया था। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा, - उनके पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1983 अनुबंध पी 4 के तहत 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 730 में संलग्न किया गया था। मौखिक परीक्षा आयोजित की जानी थी इन तिथियों पर क्रमशः करनाल और हिसार में। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बाद में पता चला कि केवल 106 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जबकि 179 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। परिणाम अंततः 28 सितंबर, 1983 को घोषित किया गया और 61 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया, - प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी उसी तारीख के कार्यालय आदेश अनुलग्नक पी. 2 के अनुसार। इस सूची में किसी भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। इसके बाद, दिनांक 7 नवंबर, 1983 के पत्र अनुलग्नक पी. 5 में प्रशासनिक अधिकारी, सिंचाई विभाग, हरियाणा द्वारा टेलीफोन पर दी गई सलाह सभी अधीक्षण अभियंताओं को इस आशय से सूचित की गई कि वेतन का भुगतान उम्मीदवार जिलादारों को नहीं किया जाना चाहिए। अगले आदेश तक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया है।

(9) उत्तरदाताओं Nos.n1 2 पर कार्रवाई करते हुए मौखिक परीक्षा को स्थगित कर दिया और बाद में इस परीक्षा को आयोजित करने वाली समितियों के गठन को स्थगित कर दिया। अनुलग्नक पी. 3 के अवलोकन से पता चलता है कि सर्वश्री एके मल्होत्रा, बीआर चोपड़ा और आरके भाटिया, अधीक्षण अभियंता, को क्रमशः दिल्ली, कैथल और हिसार केंद्रों के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इन पर्यवेक्षकों को अपने संबंधित सर्किलों के डिप्टी कलेक्टरों की सहायता से अपने संबंधित केंद्रों पर मौखिक परीक्षा आयोजित करनी थी। हालाँकि, मौखिक परीक्षा 26 और 28 अगस्त, 1983 को केवल दो केंद्रों, यानि करनाल और हिसार में आयोजित की गई थी। मौखिक परीक्षा श्री केके जगिया, मुख्य अभियंता प्रतिवादी संख्या 2, और दो अधीक्षण अभियंताओं अर्थात् सर्वश्री जेपी गुप्ता और डीआर अग्रवाल की एक समिति द्वारा आयोजित की गई थी। कोई डिप्टी नहीं

कलेक्टर ने प्रशासन नियमावली के पैरा 6.6 के प्रावधानों के अनुसार मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए इस समिति की सहायता की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौखिक परीक्षा के लिए एक डिप्टी कलेक्टर को संबद्ध करना आवश्यक है क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर को राजस्व कानून का ज्ञान होता है जो जिलादार के पद पर नियुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस साक्षात्कार समिति का गठन पूरी तरह से अवैध था। उपरोक्त पैरा 6.6(6) के अनुसार, सर्कल के अधीक्षण अभियंता को विवि सहित पूरी परीक्षा की निगरानी करनी थी। कार्यकारी अभियंता और उनके द्वारा चयनित डिप्टी कलेक्टर की सहायता से एक आवाज परीक्षण।

(10) याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मौखिक परीक्षा के लिए चयन समिति के गठन और इस परीक्षा के स्थान और तारीख को कुछ उम्मीदवारों की मदद करने के लिए गलत इरादे से बदल दिया गया। उनका तर्क है कि चूंकि मौखिक परीक्षा सहित परीक्षा उपरोक्त पैरा 6.6 के अनुसार पूरी नहीं हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं को इसमें असफल नहीं माना जा सकता था और उन्हें वेतन का भुगतान रोकने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, उनका तर्क है कि इस आशय का आदेश अनुबंध पी.5 अवैध है। वे नियमों के परिशिष्ट बी और पैरा 6.6 के अनुसार परीक्षा तक प्रशिक्षण के तहत जिलादार बने रहेंगे। आयोजित की जाती है और उसका परिणाम घोषित किया जाता है।

(11) 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 730 में, परीक्षा के परिणाम को चुनौती और याचिकाकर्ताओं को निर्धारित वेतन रोकने के आदेश समान आधार पर दिए गए हैं। हालाँकि, इसमें एक अतिरिक्त आधार जोड़ा गया है कि 61 उम्मीदवारों में से 40 उम्मीदवारों को, जिन्हें विवादित कार्यालय आदेश के माध्यम से सफल घोषित किया गया था, अनुग्रह अंक दिए गए थे। न तो नियमों में और न ही उपरोक्त पैरा 6.6 में ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान है। इसलिए, परिणाम ख़राब हो गया है.

(12) यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 746 को 24 सितंबर, 1984 को एक डिवीजन बेंच द्वारा स्वीकार किया गया था और याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान रोकने वाले आदेश अनुलग्नक पी.5 के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। 1984 का सीडब्ल्यूपी नंबर 730 24 जुलाई, 1984 को स्वीकार किया गया था और याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान रोकने के समान आदेश अनुलग्नक पी.9 के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। यह उल्लेख करना और भी सार्थक है कि 1983 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4903 आक्षेपित परिणाम और वेतन भुगतान रोकने के आदेश के खिलाफ एक समान चुनौती देता है।

(13) उत्तरदाताओं ने अपने-अपने लिखित बयानों के माध्यम से इन याचिकाओं का विरोध किया है। उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उम्मीदवार जिलादारों का चयन/नियुक्ति अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के माध्यम से की जाती है, जिसे रिट याचिका में एक पक्ष नहीं बनाया गया है। इसलिए, किसी आवश्यक पार्टी में शामिल न होना बुरा है।

(14) गुण-दोष के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि पैरा 6.6. प्रशासन नियमावली में कोई वैधानिक नियम शामिल नहीं है। यह विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए मात्र निर्देश हैं। इनमें से कुछ प्रावधान अप्रचलित हो गए हैं क्योंकि उनमें उल्लिखित मंडलों के समूह अब मौजूद नहीं हैं। यह आगे बताया गया है कि यदि उपरोक्त पैरा 6.6 में परिकल्पित अनुसार परीक्षाएँ अलग-अलग प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती हैं तो परिणाम एक समान होने की संभावना नहीं है क्योंकि विभिन्न परीक्षकों द्वारा अलग-अलग मानक अपनाए जाने की संभावना है। समान और समान मानक बनाए रखने के लिए परीक्षा मुख्य अभियंता की प्रत्यक्ष देखरेख में आयोजित की गई थी, जो बदली हुई परिस्थितियों में उपयुक्त मैरिनर में नियुक्ति प्राधिकारी है। आगे यह तर्क दिया गया है कि नियमों के परिशिष्ट बी के उप-पैरा (डी) में उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसे जिलादारों की परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। 25 जून, 1983 से 26 और 28 अगस्त, 1983 तक मौखिक परीक्षा को स्थगित करने और 2 की सीमा तक अनुग्रह अंक देने का बचाव किया गया है। यह माना जाता है कि अनुग्रह अंक सरकार के आदेशों के तहत दिए गए थे, जिसके पास नियम 20 के अनुसार नियमों की किसी भी शर्त में ढील देने की शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि मौखिक परीक्षा एक समिति द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें मुख्य अभियंता

और दो अधीक्षण अभियंता शामिल थे जो विभाग में अपने अनुभव और स्थिति के आधार पर विषय से पूरी तरह परिचित थे। डिप्टी कलेक्टर अधीक्षण अभियंताओं और मुख्य अभियंता के अधीनस्थ होते हैं और उनके काम की निगरानी बाद के अधिकारियों द्वारा की जाती है। अतः मौखिक परीक्षा के समय डिप्टी कलेक्टर की उपस्थिति की सहायता आवश्यक नहीं थी। यह भी कहा गया है कि जिन 106 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, वे वे थे जिन्होंने तीन लिखित पेपर उत्तीर्ण किए थे और उनके पास 66 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करने का मौका था, मौखिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को उनकी ग्रेडिंग में जोड़ा गया था। बाकी उम्मीदवार काफी पीछे रह गये. 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भी इन शेष अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाना निरर्थक होता।

मौखिक परीक्षापरीक्षण में उन्हें सफल घोषित नहीं किया गया होगा। इस आधार पर शॉर्टलिस्टिंग अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर आधारित है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। यह आगे कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता जिलादारी परीक्षा में असफल हो गए थे और वे परीक्षा में बैठने का एक और मौका पाने के हकदार नहीं थे, इसलिए उनका वेतन रोक दिया गया था।

(15) सीआईएन सीडब्ल्यूपी में। संख्या 1 3794 और 7 4047 एलआई 1984:3 यह पता चला है कि उपरोक्त तीन रिट याचिकाएं इस अदालत में सुनवाई के लिए आईं और याचिकाकर्ताओं को वेतन भुगतान रोकने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी, उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के विचार से उन याचिकाओं को निरर्थक बनाने के लिए उन उम्मीदवार जिलादारों के लिए एक और परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें पहले सफल घोषित नहीं किया गया था। पत्र दिनांक 16 जुलाई 1984, अनुलग्नक पी.2, सीडब्ल्यूपी संख्या 3794/1984 के माध्यम से मुख्य अभियंता ने संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को सूचित किया कि सरकार ने नियमों में छूट देते हुए असफल अभ्यर्थियों की विभागीय परीक्षा आयोजित करके एक और मौका देने का निर्णय लिया है। जून, 1983 की परीक्षा में सम्मिलित हुए। द्वितीय परीक्षा आयोजित करने हेतु निम्नलिखित समय सारणी निर्धारित की गई:-

सीरीयल नम्बर।	तारीख	समय	कागज़
1.	11 सितंबर. 1984	सुबह 9 बजे से 12 बजे तक नामांकित	खतौनी
2.	12 सितंबर, 1984	सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक	नहर अधिनियम
3.	13 सितंबर, 1984	प्रातः 9 बजे से दोपहर बारह बजे	राजस्व नियमावली
4.	14 सितंबर. 1984	सुबह 9 बजे से	*चिरायु आवाज (मौखिक आवाज*परीक्षा का संचालन पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा जिसकी सहायता सर्कल के डिप्टी कलेक्टर को दी जाएगी)।

(16)श्री श्री3 एससीआहूजा, अधीक्षण अभियंता वासियो ने दूसरी परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की। परिपत्र अनुलग्नक पी.2 निस्संदेह प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप था लेकिन इसमें इस आशय का एक नियम शामिल था कि रोल नंबर

सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों से शपथ पत्र प्राप्त कर उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए जारी किया जाए। हलफनामे का उद्देश्य परीक्षार्थियों से यह वचन लेना है कि वे जून, 1983 में आयोजित पिछली परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से किसी भी वजीफे (वेतन) का दावा नहीं करेंगे, जिसमें वे असफल रहे थे और ऐसा नहीं करेंगे। उपरोक्त

परीक्षा के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने/सिविल प्रशिक्षण पूरा करने की स्थिति में सरकारी सेवा में सही नियुक्ति का दावा करें। हलफनामे में हरियाणा सिंचाई विभाग, जिलादार राज्य सेवा नियम (समूह 'सी'), 1979 के नियम 9 (डी) का संदर्भ दिया गया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अस्तित्व में ऐसे कोई नियम नहीं हैं। इसलिए, उसके अनुसरण में प्राप्त किया जाने वाला शपथ पत्र वैध नहीं है। आगे यह भी बताया गया कि ये याचिकाकर्ता आवश्यकतानुसार हलफनामा देने के लिए तैयार नहीं थे और इस प्रकार दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इन दोनों रिट याचिकाओं पर उत्तरदाताओं द्वारा लिखित बयान दायर किए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि अनुलग्नक पी.2 से जुड़े मसौदा हलफनामे में संदर्भित नियम को अनजाने में संदर्भित किया गया है। यूलुस, यह स्वीकार किया गया कि 1979 के जिन नियमों का संदर्भ उस मसौदा हलफनामे में दिया गया है, वे अस्तित्व में नहीं हैं। आगे यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने, दिनांक 25 जून, 1984 के अनुबंध आर.2 के माध्यम से नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया गया कि सभी असफल उम्मीदवार जो पहली परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके, उन्हें पहले परिणाम की घोषणा की तारीख से कोई वजीफा नहीं दिया जाना चाहिए; यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी विशेष विषय में 66 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उसे उस विषय में दोबारा परीक्षा देने से छूट दी जा सकती है और उस विषय में प्राप्त अंकों को कुल योग निकालने के लिए जोड़ा जा सकता है; ऐसे असफल अभ्यर्थियों को दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी भी वजीफे का दावा नहीं करेंगे और दूसरे अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण करने/सिविल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं करेंगे; दूसरे अवसर में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को अगले दो वर्षों में उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा; और नियमों में छूट देते हुए सभी उम्मीदवारों को 2 प्रतिशत अनुग्रह अंक दिए जाने चाहिए क्योंकि उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत के कारण बहुत कम उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। यह कायम है कि यह आदेश उचित और वैध था। आगे यह बताया गया कि दूसरी परीक्षा का परिणाम 17 सितंबर, 1984 को घोषित किया गया था, - कार्यालय आदेश अनुलग्नक आर.3 के अनुसार। इसमें कुल 78 अभ्यर्थी शामिल हुए थे
इंतिहान। उनमें से 31 ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यह कायम रखा गया है कि उम्मीदवारों को वजीफा/वेतन का दावा न करने के लिए शपथ पत्र देने और नियमों में ढील देते हुए दूसरी परीक्षा आयोजित करने की शर्त वैध थी। याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि उम्मीदवारों पर एक हलफनामा प्रस्तुत करने और फिर दूसरी परीक्षा में बैठने की शर्त लगाई गई थी, 1984 के सीडब्ल्यूपीएस नंबर 746 और 730 में पारित स्थगन आदेश को दरकिनार करने के लिए थी, जिसे सख्ती से खारिज कर दिया गया।

(17) फिर भी बाद में 1985 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5646 और 1986 के 1421 दाखिल किए गए। इन रिट याचिकाओं के माध्यम से दोनों परीक्षाओं की वैधता, यानी एक जून, 1983 में आयोजित की गई और दूसरी सितंबर, 1984 में आयोजित की गई, लगभग समान आधार पर चुनौती दी गई थी जैसा कि पिछली रिट याचिकाओं में निहित था। 16 अक्टूबर, 1984 के अनुलग्नक पी.6 के बाद के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत 86 उम्मीदवारों को जिलादारी परीक्षा में असफल घोषित किया गया है। इन रिट याचिकाओं पर लिखित बयान दायर किए गए हैं और बचाव पहले की तरह ही किया गया है। आदेश की वैधता परिशिष्ट पी.6 का भी बचाव किया गया है। यह माना जाता है कि जब उसमें उल्लिखित उम्मीदवार पहली या दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, तो उन्हें उक्त परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया, और दूसरी परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से चयन सूची से हटा दिया गया। , यानि 17 सितम्बर 1984.
,

(18) 1985 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4594 में दूसरी परीक्षा के परिणाम को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई है कि खतौनी का प्रश्नपत्र एक कार्यवाहक कार्यकारी अभियंता द्वारा तैयार किया गया था, जिसे खतौनी तैयार करने का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था। प्रश्न पत्र ही इस ज्ञान और विशेषज्ञता की कमी का स्पष्ट संकेत देता है। बल्कि यह विषय के प्रति उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। यह तर्क दिया गया है कि परीक्षक प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र का 'मॉडल उत्तर' तैयार करने की जहमत नहीं उठाई। दावा किया गया कि संभवत: वह स्वयं अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके. यह कहा गया कि याचिकाकर्ता पहली और दूसरी दोनों परीक्षाओं में अन्य विषय में सफल उम्मीदवारों की सूची में ऊपर था। इसलिए, वह यह जानकर हैरान रह गया कि उसे खतौनी पेपर में क्वालीफाइंग अंक नहीं

मिल सके। दलील दी गई है कि चूंकि याचिकाकर्ता को खतौनी पेपर में 45 अंक मिले थे, इसलिए उसे इस पेपर में भी उत्तीर्ण होने के लिए 5 अनुग्रह अंक दिए जाने चाहिए थे। आगे यह भी शिकायत की गई है कि इसका कोई पुनर्मूल्यांकन/समीक्षा नहीं की गई

उत्तर पुस्तिका की अनुमति थी. इस प्रकार याचिकाकर्ता ने 16 अक्टूबर, 1984 के अनुलग्नक पीएल के आदेश पर आपत्ति जताई है जिसके द्वारा उसे दूसरी परीक्षा में असफल घोषित किया गया है और प्रार्थना करता है कि उत्तरदाताओं को उसे अनुग्रह अंक देने और खतौनी पेपर में उसे सफल घोषित करने का निर्देश जारी किया जाए। उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 की ओर से मुख्य अभियंता द्वारा लिखित बयान दाखिल किया गया है। इस बात से इनकार किया जाता है कि उत्तरदाताओं संख्या 3 को खतौनी के कागज की जानकारी नहीं थी। यह भी कहा गया है कि सरकारी निर्देशों के तहत विषय में केवल दो अनुग्रह अंक की अनुमति दी जा सकती है। 1985 का सीएम नंबर 3415 याचिकाकर्ता द्वारा इस अनुरोध के साथ दायर किया गया था कि उसे इसके साथ संलग्न प्रतिकृति को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए। इस सीएम को मुख्य मामले के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया. मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता को प्रतिकृति को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देना न्याय के हित में है। परिणामस्वरूप सीएम को अनुमति दी गई है।

i(19) 1986 का सीडब्ल्यूपी नंबर 677 भी दूसरी परीक्षा के परिणाम, अनुलग्नक पी.4 के लिए एक चुनौती है। यह कहा गया है कि खतौनी का पेपर ठीक से सेट नहीं किया गया था और वास्तव में उसमें मौजूद अधिकांश प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। याचिकाकर्ता ने अभय सिंह, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर, हरियाणा, सिंचाई विभाग का एक हलफनामा अनुलग्नक पी. 3 दायर किया है, जिसमें उन्होंने दूसरी परीक्षा में निर्धारित खतौनी के प्रश्न पत्र में विभिन्न गड़बड़ियों और विसंगतियों को सामने लाया है। उस आदेश को चुनौती देने के अलावा जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दूसरी परीक्षा में असफल घोषित किया गया है, याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि उसे पूरी अवधि के लिए निर्वाह भत्ता/वेतन दिया जाना चाहिए। उन्होंने 26 दिसंबर, 1983 के आदेश, अनुलग्नक पी. 1 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे अभ्यर्थी जिलादारों का वजीफा/वेतन रोक दिया गया था। वह बताते हैं कि कई अन्य उम्मीदवार जिलादारों के मामले में, जो परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहे थे, मुख्य अभियंता ने, दिनांक 30 अगस्त, 1985 के पत्र अनुबंध पी. 8 के माध्यम से भुगतान करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराया। सीडब्ल्यूपी में डिवीजन बेंच के स्थगन आदेश के अनुसरण में उन्हें वजीफा/वेतन। 1984 की संख्या 730 और 746। उनका कहना है कि इन परिस्थितियों में उन्हें वजीफा/वेतन की अनुमति न देना भेदभाव के समान है। उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है। उन्होंने खतौनी पेपर में किसी भी गड़बड़ी या विसंगतियों से इनकार किया है और कहा है कि इसे परीक्षक द्वारा ठीक से सेट किया गया था। याचिकाकर्ता ने खतौनी पेपर के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन/समीक्षा के लिए आवेदन किया था लेकिन इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशिक्षण की अवधि और कार्यभार ग्रहण करने के समय के दौरान वजीफा/वेतन की अनुमति है।

इसलिए, याचिकाकर्ता को वजीफा/वेतन के भुगतान से वंचित कर दिया गया। सीडब्ल्यूपी में याचिकाकर्ताओं के मामले में। 1984 के 730 और 746 में यह स्वीकार किया गया है कि इस न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुसरण में उन्हें वजीफा/वेतन की अनुमति दी गई है, - विस्तृत आदेश अनुलग्नक पी. 8 लेकिन यह माना जाता है कि यह भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता है।

(20) 1987 का अंतिम सीडब्ल्यूपी नंबर 129 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया है, जिन्हें दूसरी जिलादारी परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। उनकी चुनौती प्रथम परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के बाद उन्हें निर्वाह भत्ता/निश्चित वेतन से इनकार करने तक ही सीमित है, - आदेश दिनांक 26 दिसंबर, 1983 अनुलग्नक पी 1 के अनुसार। यह सुनिश्चित किया गया है कि जो शपथ पत्र प्राप्त किए गए थे उनसे दूसरी परीक्षा में उनकी पात्रता के लिए इस शपथ पत्र के साथ कि वे वजीफा/निश्चित वेतन का दावा नहीं करेंगे, जो जबरदस्ती का परिणाम है और नियमों की शर्तों के खिलाफ है। वे बताते हैं कि सीडब्ल्यूपी में याचिकाकर्ताओं के मामले में। 1984 के क्रमांक 730 और 746 को सरकार द्वारा वजीफा स्वीकृत कर दिया गया था, दिनांक 30 अगस्त, 1985 के पत्र, अनुलग्नक पी. 3 के माध्यम से। इसके बाद के पत्र दिनांक 13 नवंबर, 1985 के अनुलग्नक पी. 4 के माध्यम से मुख्य अभियंता ने इसकी मंजूरी से अवगत करा दिया

है। सरकार जिलादारों के 117 प्रशिक्षण पदों को जारी रखने के लिए रुपये की दर से वजीफा का भुगतान करेगी। 1 मार्च, 1984 से 28 फरवरी, 1986 की अवधि के लिए या इस न्यायालय के निर्णय की तारीख तक, जो भी पहले हो, 550 रुपये प्रति माह। वे इस प्रकार बताते हैं कि पहली परीक्षा में उपस्थित हुए 178 अभ्यर्थियों में से, उसमें सफल घोषित किए गए 61 अभ्यर्थियों को छोड़कर, शेष सभी 117 अभ्यर्थियों के संबंध में वजीफा देने के लिए जिलादारों के प्रशिक्षण पदों की मंजूरी दे दी गई है। प्रथम परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। इस प्रकार, उन याचिकाकर्ताओं को वजीफा का भुगतान करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, जो मंजूरी अनुबंध पी. 4 में शामिल हैं, केवल इस आधार पर कि उनसे शपथ पत्र देने के लिए कहा गया था, जो उनके दूसरे पद लेने से पहले एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया था। इंतिहान। इस याचिका का प्रतिवादियों ने विरोध किया है. उनकी ओर से मुख्य अभियंता ने लिखित बयान दाखिल किया है. उनका तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी या मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों के मद्देनजर उन्हें निर्वाह भत्ता/निश्चित वेतन का दावा करने से रोका जाता है। अत: उनका दावा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

(21) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। मुझे सबसे पहले बचाव में उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों पर ध्यान देना और उनसे निपटना सुविधाजनक लगता है ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। पहला सबमिशन

उन्होंने कहा कि प्रशासन नियमावली का पैरा 6.6 जिस पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया है, उसमें कानून का कोई बल नहीं है। इसमें दिए गए निर्देश संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत जारी नहीं किए गए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि ये निर्देश इस कारण से खराब हैं कि वे नियमों के प्रावधानों के विरोध में हैं। उचित कारणों से इन पर कार्रवाई नहीं की गई और इनके आधार पर याचिकाकर्ताओं को कोई अधिकार नहीं मिलता। आगे तर्क दिया गया है कि नियमों के तहत मुख्य अभियंता जिलादारों का नियुक्ति प्राधिकारी है। भले ही उपरोक्त पैरा 6.6 में निहित निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हों, ये मुख्य अभियंता द्वारा शक्तियों के प्रयोग में लगाए गए बंधनों की प्रकृति के हैं, जो इसलिए खराब हैं। एक अन्य निवेदन यह है कि कुछ याचिकाकर्ता 26 और 28 अगस्त, 1983 को आयोजित मौखिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे। इसलिए, उन्हें इस परीक्षण की वैधता को चुनौती देने से रोका गया है। अन्य याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की और यदि उन्हें मौखिक परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक भी दिए जाते तो भी वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते। इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग वैध कारणों से की गई थी।

(22) 'उपरोक्त दावों के समर्थन में उत्तरदाताओं के लिए थेरलर्नडकाउंसलर ने श्री तरलोक सिंह पट-पतिया बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1) पर भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि चूंकि पैरा 6.6 में निहित निर्देश इसके तहत जारी नहीं किए गए हैं। सरकार का अधिकार, ये मान्य नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने जीजे फर्नांडीज बनाम मैसूर राज्य और अन्य का हवाला दिया, (2) और कहा कि संविधान का अनुच्छेद 162 सरकार को नियम बनाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। यदि केवल राज्य की कार्यकारी शक्ति के दायरे को इंगित करता है। राज्य अपने सेवकों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है कि कुछ परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाए, लेकिन इससे ऐसे निर्देश वैधानिक नियम नहीं बन जाएंगे जो न्यायसंगत हों। इसके बाद उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में मैसूर सरकार, बैंगलोर के मुख्य सचिव और एक अन्य बनाम एससी चंद्रैया आदि (3) पर भरोसा किया कि प्रशासन मैनुअल केवल सरकारी निर्देशों का एक संकलन है और इन निर्देशों का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं है। . इसके बाद उन्होंने भारत संघ और अन्य बनाम माईजी जंगमैया और अन्य पर भरोसा किया, (4)

(1) 1974(1) एसएलआर 728.
(2) एआईआर 1967 एससी 1753।
(3) 1967 एसएलआर 155.
(4) 1977(1) एसएलआर 614।

और तर्क दिया कि वैधानिक नियमों और सरकारों के प्रशासनिक निर्देशों के बीच स्पष्ट अंतर है। एक प्रशासनिक निर्देश या आदेश वैधानिक नियम नहीं है। ऐसे निर्देश यदि अच्छे कारणों से लागू नहीं किए गए तो कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकते। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वह पशुपति सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (5) मामले में पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करते हैं।

(23) मुझे प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा की गई इन दलीलों में बल नहीं दिखता, सबसे पहले, इस कारण से कि प्रशासन की नियमावली प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की गई है और इसमें वे निर्देश शामिल हैं जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। रतन चंद, उपमंडल अधिकारी, बनाम पंजाब राज्य, (6) मामले में, इस न्यायालय को प्रशासन नियमावली के प्रावधानों से निपटने का अवसर मिला था। इस मैनुअल का पैरा 11.4 विचारार्थ आया। अन्य बातों के साथ-साथ, यह इस प्रकार देखा गया-

> "मुख्य अभियंता के अनुसार, यह मैनुअल सरकारी निर्देशों का एक संकलन है जिसका अर्थ है कि इन निर्देशों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित, संशोधित या संशोधित किया जा सकता है। यह नहीं दर्शाया गया है कि संशोधन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। नये पैरा 11.4 में पिछले पैरा 11.4 की तुलना में कोई कम बल नहीं है जिसे उसने प्रतिस्थापित किया है। यदि संशोधन से पहले विभाग उस पैरा के प्रावधानों को प्रभावी कर रहा था, तो 29 जनवरी, 1968 से प्रतिस्थापित होने के बाद नए पैरा को प्रभावी करना भी विभाग पर निर्भर है।.....

इस प्रकार, प्रशासन नियमावली के पैरा 11.4 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि याचिकाकर्ता ने पैरा 11.4 द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया। इसलिए, उन्हें तब तक अनुभागीय अधिकारी के पद पर वापस नहीं भेजा जा सकता, जब तक कि कोई योग्य अनुभागीय अधिकारी या उनसे कनिष्ठ अनुभागीय अधिकारी उप मंडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो।

(24) इस प्रकार, यह माना जाता है कि प्रशासन मैनुअल प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश शामिल होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर प्रभावी किया जाता है। इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी विशेष अवसर पर इन निर्देशों से विचलन किया जाए। गौरतलब है कि प्रतिवादी की दूसरी परीक्षा आयोजित करते समय

(5) 1978 एसएलडब्ल्यूआर 496.
(6) 1969 एसएलआर 231.

क्रमांक 2, दिनांक 16 जुलाई, 1984 के पत्र द्वारा एक बार फिर तय किया गया कि तीन विषयों में लिखित परीक्षा के अगले दिन मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और अधीक्षण अभियंता, जिन्हें पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना था, को निर्देश दिया गया कि वे परीक्षा दें। उक्त परीक्षण के लिए डिप्टी कलेक्टर की सहायता। इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि क्या एक विशेष अवसर पर, यानी पहली जिलादारी परीक्षा, जो चुनौती का विषय है, पैरा 6.6 में निहित निर्देशों से हटने का कोई अच्छा कारण था।

(-25) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियमों के परिशिष्ट बी में जिलादारी परीक्षा आयोजित करने के तरीके या प्रत्येक विषय के लिए आवंटित किए जाने वाले अधिकतम अंक प्रदान नहीं किए गए हैं। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि सक्षम अधिकारी कौन हैं जो परीक्षक हो सकते हैं। इस प्रकार, जहां तक जिलादारी परीक्षा के लिए बुनियादी ढाँचे का संबंध है, नियम मौन हैं। इस प्रकार इसे प्रशासन नियमावली के पैरा 6.6 में निहित सरकारी निर्देशों द्वारा सलाह दी गई है। विद्वान वकील

का यह तर्क कि पैरा 6.6 नियमों के विपरीत है, सही नहीं है। उन्होंने निस्संदेह बताया कि नियम 8 के अनुसार मुख्य अभियंता नियुक्ति प्राधिकारी है। जब परीक्षा पर्यवेक्षकों के रूप में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा आयोजित की जानी है तो मुख्य अभियंता अपने कार्यों से विमुख हो जाते हैं। मुझे इस समर्पण में कोई ताकत नजर नहीं आती. पर्यवेक्षकों को परीक्षा के परिणाम के बारे में मुख्य अभियंता को सूचित करना होगा। आगे एक उम्मीदवार है. यदि अधीक्षण अभियंता उसकी सिफारिश करता है और उम्मीदवार के सामान्य कार्य और जिलादार के रूप में उसकी नियुक्ति के लिए संभावित उपयुक्तता के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा अवसर दिया जाएगा। विद्वान वकील ने कहा कि नियमावली वर्ष 1955 में लागू हुई, जिसमें जिलादारों की नियुक्ति का अधिकार मुख्य अभियंता को निर्धारित किया गया है। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले अधीक्षण अभियंता जिलादारों का नियुक्ति प्राधिकारी था और केवल उस स्थिति में पैरा 6.6 व्यावहारिक था। हालाँकि, यह समर्पण बलहीन है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने मेरे ध्यान में पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) जिलादारों के सेवा नियम, 1943 लाए हैं। इसके नियम 4 में प्रावधान है कि सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियाँ मुख्य अभियंता द्वारा की जाएंगी। 1943 के नियमों का परिशिष्ट बी उल्लेखनीय रूप से नियमों के परिशिष्ट बी के समान है। इसलिए, मैं उत्तरदाताओं के विद्वान वकील की इस दलील से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं कि प्रशासन नियमावली का पैरा 6.6 किसी भी तरह से नियमों के प्रावधानों के विपरीत है।

(26) उपरोक्त चर्चा वास्तव में उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के अगले तर्क से मेल खाती है कि जब जिलादारी परीक्षा आयोजित करने का कार्य पर्यवेक्षकों के रूप में विशेष अधीक्षण अभियंताओं को सौंपा जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में मुख्य अभियंता का अधिकार और उसका अधिकार प्रशासन नियमावली के पैरा 6.6 द्वारा लगाई गई बाधाओं से व्यायाम बाधित होता है। हालाँकि, यहाँ यह जोड़ा जा सकता है कि यह स्वयं मुख्य अभियंता हैं जिन्होंने अपने विवेक से, दिनांक 9 मई, 1983 के पत्र अनुबंध पी. 3 के माध्यम से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, परीक्षा के लिए तीन केंद्र तय किए और परीक्षा के लिए समय सारिणी भी निर्धारित की। परीक्षा का आयोजन. इसी आदेश के माध्यम से उन्होंने आगे निर्देश दिया कि मौखिक परीक्षा तीन लिखित पेपरों में परीक्षा की तारीख के बाद की तारीख पर होगी और मौखिक परीक्षा का संचालन उप-जिलाधिकारियों की सहायता से संबंधित केंद्रों के पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा। उनके सर्किलों के. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में मुख्य अभियंता ने न केवल पैरा 6.6 के अनुरूप आदेश अनुलग्नक पी. 3 जारी किया, बल्कि वास्तव में ऐसा करना सुविधाजनक समझा। उपरोक्त पैरा 6.6 के उप-पैरा (9) में कहा गया है कि परिणाम परीक्षक द्वारा मुख्य अभियंता को सूचित किया जाएगा, उसे केवल एक सिफारिश करनी होगी कि क्या उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा अवसर दिया जाना चाहिए। परिणाम की अंतिम घोषणा के संबंध में निर्णय और इस सवाल पर भी कि उम्मीदवार को दूसरा अवसर दिया जाना चाहिए या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी, यानी मुख्य अभियंता पर निर्भर करता है। सिर्फ इसलिए कि तीन समूह, अर्थात, पश्चिमी समूह, केंद्रीय समूह और पूर्वी समूह, अब अस्तित्व में नहीं हैं क्योंकि वे 1 नवंबर, 1966 को पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पहले थे जैसा कि पैरा के उप-पैरा (1) में बताया गया है। 6.6 उपरोक्त, उक्त निर्देश अप्रचलित नहीं हैं। मुख्य अभियंता ने वास्तव में अपने आदेश अनुलग्नक पी. 3 के तहत हरियाणा पीडब्ल्यूडी (सिंचाई शाखा) के मौजूदा सर्किलों को तीन समूहों में पुनर्गठित किया था और इस प्रकार इसे उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप बनाया था। इसलिए, मैं इस तर्क को भी खारिज करता हूं।

(27) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, पंजाब और अन्य बनाम जगन नाथ शर्मा और अन्य, (7) पर भरोसा रखा गया। श्री रविंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (8), पलविंदर सिंह और अन्य बनाम।

(7) 1980(2) एसएलआर 744।
(8) 1983(1) एसएलआर 247.

लोक शिक्षण निदेशक, पंजाब और अन्य,(9) और श्री धर्म पाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (10), उनके उपरोक्त तर्क का समर्थन करना स्पष्ट रूप से गलत है। ये सभी प्राधिकारी तथ्य और कानून दोनों बिंदुओं पर भिन्न हैं। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के प्रति पूरी निष्पक्षता के आधार पर, मुझे इन प्राधिकारियों पर चर्चा करना आवश्यक लगता है। जगन नाथ शर्मा के मामले (सुप्रा) में, आंतरिक समिति, जिसे कार्यकारी निर्देशों के तहत नियुक्त किया गया था, को उत्पाद शुल्क और कराधान निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करना आवश्यक था। इस प्रकार आंतरिक समिति के कार्यों को डिवीजन बेंच ने केवल सलाहकार के रूप में नहीं रखा। ये वास्तव में इस आंतरिक समिति को निरीक्षकों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करते हैं, जो अन्यथा प्रासंगिक नियमों के तहत आयुक्त के हाथों में होती है। यहाँ निश्चित रूप से वह स्थिति नहीं है। उपरोक्त पैरा 6.6 के अनुसार पर्यवेक्षकों को अपनी सिफारिशें नियुक्ति प्राधिकारी, यानी मुख्य अभियंता को प्रस्तुत करनी थीं। वास्तव में, मुख्य अभियंता से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे स्वयं परीक्षक बनें, व्यक्तिगत रूप से परीक्षा आयोजित करें और उत्तर पुस्तिकाओं पर पुरस्कार दें। निर्देशों के अनुसार ये सभी कार्य पर्यवेक्षकों को दिए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी सिफारिशें मुख्य अभियंता की अंतिम जांच और निर्णय के अधीन हैं, जिन्हें परिणाम घोषित करना है। श्री रविंदर कुमार के मामले में (सुप्रा), सर्कल के अधीक्षण अभियंता नियुक्ति प्राधिकारी थे। उन्हें नियमानुसार लिपिकों के पदों से उपमंडलीय लिपिकों के पदों पर पदोन्नति करनी थी। हालाँकि, मुख्य अभियंता ने एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया, जिसमें विभिन्न सर्किलों के कई अधीक्षण अभियंता शामिल थे, जिसे क्लर्कों के सेवा रिकॉर्ड की जांच करनी थी और फिर यह पता लगाना था कि क्या क्लर्क पदोन्नति के लिए उपयुक्त है। इस सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयनित उम्मीदवारों की सूची के आधार पर सर्कल के संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को पदोन्नति के आदेश पारित करने थे। सही ढंग से यह माना गया कि यह केवल एक सलाहकारी कार्य नहीं था। वास्तव में इसका उद्देश्य संबंधित अधीक्षण अभियंताओं के विवेक में बाधा उत्पन्न करना था। इस फैसले का मौजूदा मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पलविंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में भी, वैधानिक नियमों के अनुसार, मास्टर्स के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी, सार्वजनिक निर्देश निदेशक थे। हालाँकि, सरकार ने सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति नियुक्त की

(9) 1983(1) एसएलआर 271.
(10) 1984(1) एसएलआर 597।

नियुक्तियां यह उचित ही माना गया कि यह नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति को छीन रहा है। श्री धर्म पाल सिंह के मामले (सुप्रा) में, वैधानिक नियमों के अनुसार, सहायकों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य अभियंता थे। हालाँकि, पंजाब सरकार के उप

सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन करने के लिए सरकार के मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। मुख्य अभियंता को इस समिति की सिफारिशों के अनुसार नियुक्तियाँ करनी थीं। यह उचित ही माना गया कि यह नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में मुख्य अभियंता के अधिकार को छीन रहा है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, मुख्य अभियंता ने अपने विवेक से उपरोक्त पैरा 6.6 के अनुसार परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया। पर्यवेक्षकों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर अपनी सिफारिशें मुख्य अभियंता को भेजनी थीं। ये पर्यवेक्षक मुख्य अभियंता के अधीनस्थ थे और वह इन सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अंतिम प्राधिकारी था।

(28) उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि रिट याचिकाएं 45 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई हैं जो मौखिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे और अंततः उसमें दायर किए गए थे। उनके अनुसार, मौखिक परीक्षा देने का विकल्प चुनने वाले ये याचिकाकर्ता मुख्य अभियंता और दो अधीक्षण अभियंताओं वाली समिति के गठन पर सवाल नहीं उठा सकते, जिसने मौखिक परीक्षा आयोजित की थी। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन की नियमावली के पैरा 6i6 में निहित निर्देशों के अनुसार एक डिप्टी कलेक्टर को मौखिक परीक्षा आयोजित करने वाली समिति की सहायता करना आवश्यक था और उसकी गैर-संबद्धता उक्त निर्देशों के दायरे से बाहर है। हालाँकि, इस तर्क को याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि जब ये याचिकाकर्ता मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए तो उन्हें यह नहीं पता था कि समिति का गठन करने वाले सज्जन कौन थे, और यह भी नहीं पता था कि डिप्टी कलेक्टर थे या नहीं।' समिति से जुड़े रहे। 'उत्तरदाताओं की ओर से डॉ. जी. सरना बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य, (11) स्वर्ण लता बनाम भारत संघ और अन्य, (12) और डॉ. पी. गोवर्धन रेड्डी और अन्य पर भरोसा जताया गया है। वी. बी. लक्ष्मण और अन्य,

(11) एआईआर 1976 एससी 2428
(12) 1979 (आई) एसआईआर 710

(13) डॉ. जी. सरना के मामले (सुप्रा) में, अंतिम न्यायालय ने इस प्रकार कहा: -

> "हालाँकि, हम वर्तमान मामले में पूर्वाग्रह की तर्कसंगतता या पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता सभी प्रासंगिक तथ्यों को जानता था, उसने साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पहले ऐसा नहीं किया था या साक्षात्कार के समय चयन समिति के संविधान के विरुद्ध अपनी छोटी उंगली भी उठा देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वेच्छा से समिति के समक्ष उपस्थित हुए हैं और उन्होंने समिति से अनुकूल अनुशंसा प्राप्त करने का मौका लिया है।"

उत्तरदाताओं द्वारा यह नहीं बताया जा सका कि याचिकाकर्ताओं को पहले से कोई संचार भेजा गया था जिसमें उन व्यक्तियों को उनके पदनाम के साथ दर्शाया गया था जिन्होंने मौखिक परीक्षा के लिए समिति का गठन किया था। वास्तव में, उत्तरदाता मुझे संतुष्ट नहीं कर सके कि याचिकाकर्ताओं को मौखिक परीक्षा आयोजित करने वाली समिति की स्थिति के बारे में पहले से कोई जानकारी थी। इसलिए, डॉ. जी. सरना के मामले में निर्धारित नियम मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता

है। फिर, स्वर्ण डेटा के मामले (सुप्रा) में, यह पाया गया कि अपीलकर्ता अनुमोदन और पुनरुद्धार करने की कोशिश कर रहा था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के जवाब में उसने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से और किसी के दबाव के बिना, इस पद के लिए आवेदन किया था। इसलिए, उसने अपना मौका लिया और सिर्फ इसलिए कि चयन समिति ने उसे नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया, यह देखा गया कि उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सका कि आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा प्रतिवादी नंबर 6 का चयन अमान्य था। केंद्र सरकार या आयोग द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यता में ढील देने में, चंडीगढ़ प्रशासन के कार्यों को हथियाते हुए, अपनी शक्तियों से आगे निकल गया था। वह पूरी तरह से जानती थी कि विज्ञापन की शर्तों के तहत, आयोग ने किसी भी आवश्यक योग्यता में छूट देने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखी है। इस पूरी जानकारी के साथ उसने इस पद के लिए आवेदन किया और वह साक्षात्कार में शामिल हुई। इसलिए, उनके आधिपत्य ने माना कि अपीलकर्ता को इन आधारों पर आग्रह करने से रोका गया था। स्वर्ण डेटा के मामले (सुप्रा) में फिर से तथ्यों पर अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। डॉ. पी. गोवर्धन रेड्डी के मामले (सुप्रा) में, याचिकाकर्ता ने इस पद्धति को चुनौती दी थी

(13) 1983 (3) एसएलआर 170.

साक्षात्कार के रूप में मौखिक परीक्षा द्वारा चयन। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि जब हमला इस आधार पर होता है कि साक्षात्कार के रूप में मौखिक परीक्षा द्वारा चयन की विधि स्वयं मौजूद है, तो याचिकाकर्ता यह अच्छी तरह से जानते हुए भी इस तरह की मौखिक परीक्षा में शामिल हुआ है। जो तरीका अपनाया गया, चयन से पहले उस पर सवाल उठाना चाहिए था। मेरा स्पष्ट मानना है कि डॉ. पी. गोवर्धन रेड्डी (सुप्रा) के मामले के तथ्य फिर से अलग-अलग हैं। चूँकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस दावे का खंडन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उन्हें उन व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिन्होंने अपने पदनाम के साथ मौखिक परीक्षा के लिए समिति का गठन किया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें से कुछ लोग उक्त परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। इस आधार पर इस समिति के गठन को चुनौती देने का उनका अधिकार माफ कर दिया कि एक डिप्टी कलेक्टर ने समिति की सहायता नहीं की और वास्तव में वह मौखिक परीक्षा के लिए समिति से जुड़ा नहीं था।

(29) अंत में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने तीन लिखित पेपरों में 164 से कम अंक प्राप्त किए थे, उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया था। उनका कहना है कि शॉर्ट लिस्टिंग की विधि अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और इसे के. राम रेड्डी और अन्य बनाम मैसूर लोक सेवा आयोग, (14) और वी. श्रीकांत एक्साइज इंस्पेक्टर और अन्य बनाम मैसूर राज्य, (15) मामले में अनुमोदित किया गया है। . दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि शॉर्टलिस्टिंग का कोई अवसर नहीं था। दरअसल, मौखिक परीक्षा चार निर्धारित विषयों में से परीक्षा के विषयों में से एक थी। फिर सभी चार विषयों का परिणाम घोषित किया जाना था और इस प्रकार जो सभी विषयों में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हुए थे और कुल मिलाकर निर्धारित प्रतिशत प्राप्त किया था, उन्हें सफल घोषित किया जाना था। तीन लिखित पत्रों के परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए समय देने और उसके परिणाम जानने के बाद उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाने का मतलब स्पष्ट रूप से न्याय के साथ काम करना था और पक्षपात में लिप्त होने की संभावना थी। उन्होंने आगे कहा कि सभी उम्मीदवारों का चयन शुरू में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया गया था। उन्हें विधिवत उम्मीदवार जिलादार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पटवार परीक्षा उत्तीर्ण की थी और बाद में पटवार हल्के का स्वतंत्र प्रभार संभाला था। वे संख्या में सीमित थे. यह जनता से उम्मीदवारों के

लिए खुली प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं था। वहाँ

(14) 1969 एसएलआर 703.
(15) 1970 एसएलआर 437.

इसलिए, शॉर्ट-लिस्टिंग का कोई सवाल ही नहीं था। उनके अनुसार, इसने याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय किया है।

(30) उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए के. राम रेड्डी के मामले (सुप्रा) के संदर्भ से पता चलता है कि मैसूर राज्य सिविल सेवा (चयन द्वारा सीधी भर्ती) नियमों का नियम 5, जो कि प्रासंगिक वैधानिक नियम था, स्वयं ही निर्धारित किया गया था साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन चयन प्राधिकारी योग्यता के क्रम में योग्यता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ऐसी सूची में शामिल अभ्यर्थियों में से, जहां तक संभव हो, अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के चार गुना के बराबर अभ्यर्थी, योग्यता के क्रम में चयनित, साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। वी. श्रीकांत के मामले (सुप्रा) में भी यही नियम विचार का विषय था। इसलिए, इन दोनों प्राधिकरणों में से किसी का भी वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि उन मामलों में वैधानिक नियम स्वयं शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए प्रदान करते हैं।

(31) मुख्य अभियंता प्रतिवादी नंबर 2 स्वयं उम्मीदवार जिलादारों के मौखिक परीक्षा में बैठने के अधिकार को कम नहीं कर सका। वास्तव में, परिशिष्ट बी के साथ पढ़ी गई और पैरा 6.6 में शामिल सरकारी निर्देश द्वारा पूरक नियमों की योजना यह स्पष्ट करती है कि परीक्षा में चार परीक्षण शामिल हैं, यानी खतौनी, नहर अधिनियम और राजस्व मैनुअल में लिखित परीक्षा, और वाइवा वॉयस। इन सभी चार परीक्षाओं को 100-100 अंक आवंटित किए गए हैं। यदि मौखिक परीक्षा को केवल उन अभ्यर्थियों तक सीमित करने का कला इरादा होता, जिन्होंने पिछले तीन विषयों में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की होती, तो इस आशय का एक निश्चित प्रावधान किया गया होता। नियम का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि जिस समिति के समक्ष अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, वह न केवल उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान और स्वतंत्र प्रभार संभालने के दौरान उनके द्वारा प्राप्त कामकाजी ज्ञान का भी परीक्षण करती है। एक पटवार हलका. जिलादार के रूप में नियुक्त होने के लिए उन्हें पर्याप्त अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए उपरोक्त पैरा 6.6 में प्रावधान है कि एक डिप्टी कलेक्टर मौखिक परीक्षा आयोजित करने वाली समिति की सहायता करेगा। जिलेदार सीधे उपजिलाधिकारियों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। उन्हें नहर अधिनियम, राजस्व नियमावली तथा खतौनियां तैयार करने का गहन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान है। वास्तव में डिप्टी कलेक्टर सहित समिति के सदस्यों को यह नहीं पता होना चाहिए कि मौखिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों ने पिछली तीन परीक्षाओं में कैसा प्रदर्शन किया है। इसीलिए मौखिक परीक्षा अगली तारीख पर तय की गई है

तीन विषयों में लिखित परीक्षा और यही कारण है कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के तीन विषयों में समान अधिकतम अंक दिए जाते हैं। वास्तव में, असफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित दूसरी परीक्षा में - 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3794 में अनुलग्नक पी.2 के अनुसार तीन पेपरों में लिखित परीक्षा और पैरा में दिए गए निर्देशों के बाद मौखिक परीक्षा आयोजित की गई है। उपरोक्त 6.6 का अक्षरशः पालन किया गया है। इसलिए, मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील से सहमत हूं कि उन उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करके, जो मुख्य प्रशिक्षक के अनुसार लिखित परीक्षा में अपना ग्रेड नहीं बना सके और मौखिक परीक्षा को शीर्ष उम्मीदवारों तक सीमित करके प्रतिवादी नंबर 2 ने उल्लंघन किया है। नियमों और निर्देशों की भावना जो कायम नहीं रखी जा सकती।

(32) मेरे सामने यह विवादित नहीं था कि उपरोक्त पैरा 6.6 की प्रकृति में पूरक निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं जो नियम बनाने में सक्षम हैं, बशर्ते वे पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत न हों। जैसा कि मैंने पहले ही

ऊपर प्रदर्शित किया है, प्रशासन नियमावली के पैरा 6.6 में निहित निर्देश केवल जिलादारी परीक्षा आयोजित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, जिसे नियमों के परिशिष्ट बी के अनुसार अर्हता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार की आवश्यकता होती है। चूंकि 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4903, 1984 के 730 और 746 में लागू पहली जिलादारी परीक्षा में मौखिक परीक्षा को स्थगित करके, पहले तीन लिखित परीक्षाओं के परिणाम को सुरक्षित करके और फिर मौखिक परीक्षा आयोजित करके इन प्रशासनिक निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। परीक्षण, जिलादारी परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए न बुलाने तथा उक्त परीक्षा आयोजित करने वाली उपसमिति में मौखिक परीक्षा में सहायता के लिए एक डिप्टी कलेक्टर को संबद्ध न करने से उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। -कार्यालय आदेश दिनांक 28 सितंबर 1983 के अनुसार अनुबंध पी.2 शून्य है और इसलिए रद्द किया जाता है।

(33) एक और दिलचस्प पहलू जो मेरे ध्यान में आया वह यह है कि अनुबंध पी. 2 के अनुसार परीक्षा हरियाणा सिंचाई विभाग जिलादारों (राज्य) के नियम 9 (डी) में संदर्भित परिशिष्ट ई के पैरा (डी) में निर्धारित अनुसार आयोजित की गई है। सेवा समूह सी) नियम, 1979। ऐसे किसी भी नियम के अस्तित्व को 1984 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3794 में एक स्पष्ट चुनौती दी गई है। उत्तरदाताओं ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया है कि तथाकथित 1979 नियमों का संदर्भ गलत तरीके से दिया गया था। इससे पता चलता है कि मुख्य अभियंता प्रतिवादी नंबर 2 को कुछ मसौदा नियमों द्वारा गलत तरीके से निर्देशित किया जा रहा था जिन्हें अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है और कानून का बल प्राप्त नहीं हुआ है।

(34) अब, मैं 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3794 और 4047 को लूंगा। कई उम्मीदवार जो पहली जिलादारी परीक्षा में असफल हो गए थे, उन्होंने पहले निपटाए गए सिविल रिट याचिकाओं के माध्यम से इस अदालत में उक्त परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी थी। मुख्य अभियंता प्रतिवादी नंबर 2 ने उन्हें वजीफा/नियत वेतन का भुगतान रोक दिया था, - व्यापक आदेश दिनांक 26 दिसंबर, 1983 अनुलग्नक पी. 1. इस आदेश के कार्यान्वयन पर इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा रोक लगा दी गई थी। मुख्य अभियंता ने पत्र दिनांक 16 जुलाई 1984 अनुलग्नक पी. 2 के माध्यम से दूसरी परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नई तिथि-पत्र जारी किया जिसमें पहली परीक्षा में असफल रहे सभी उम्मीदवारों को उपस्थित होने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता इस बात से सहमत हैं कि अनुबंध पी. 2 नियमों, परिशिष्ट बी और उपरोक्त पैरा 6.6 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसमें 11, 12 और 13 सितंबर, 1984 को खतौनियों, नहर अधिनियम और राजस्व नियमावली में लिखित परीक्षा और 14 सितंबर, 1984 को मौखिक परीक्षा का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि परीक्षा के पर्यवेक्षक की सहायता डिप्टी कलेक्टर द्वारा की जाएगी। मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए मंडल का। हालाँकि, उन्होंने उसमें निहित आवश्यकता को चुनौती दी है कि असफल उम्मीदवारों को इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वे जून, 1983 में आयोजित पिछली परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से किसी भी वजीफे/निश्चित वेतन का दावा नहीं करेंगे। जिसमें वे असफल रहे थे, और दूसरी परीक्षा के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने/सिविल प्रशिक्षण पूरा करने की स्थिति में वे सरकारी सेवा में सही नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। उनका तर्क है कि यह शर्त अवैध रूप से लगाई गई थी और नियमों के तहत इसकी गारंटी नहीं है।

(35) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की दलील यह है कि नियमों के नियम 20 के तहत नियमों में छूट देकर असफल उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। इस आशय का एक आदेश सरकार द्वारा पारित किया गया था, - दिनांक 25 जून, 1984 के पत्र अनुलग्नक आर. II/आर के माध्यम से। चतुर्थ. इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि सभी असफल उम्मीदवार जो पहली परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके, उन्हें पहली परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। ऐसे असफल उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक और मौका दिया गया था, लेकिन उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले एक हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक था कि वे किसी भी वजीफे का दावा नहीं करेंगे और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे अवसर में सिविल की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर वे नियुक्ति के लिए पात्रता का

दावा नहीं करेंगे। यह तर्क दिया गया है कि उम्मीदवारों पर यह शर्त लगाई गई है

दूसरी परीक्षा वैध है. हालाँकि, नियमों के संदर्भ से पता चलता है कि ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। खंड (डी) परिशिष्ट बी में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि किसी भी उम्मीदवार को विशेष कारणों को छोड़कर परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके अभाव में असफल होने वालों के नाम चयनित सूची से हटा दिए जाएंगे। उम्मीदवार। इसका मतलब यह है कि जब तक चयनित उम्मीदवार का नाम सूची से नहीं हटाया जाता है, तब तक वह नियमों के परिशिष्ट ए में निर्धारित वजीफा/निश्चित वेतन के भुगतान का हकदार है। वह नियमों के नियम 14 द्वारा निर्धारित जिलादार उम्मीदवार के पद पर सेवा के सदस्य के रूप में बने रहेंगे। वास्तव में, नियम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि यदि किसी जिलादार उम्मीदवार का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया जाता है, तो उसे एक बार फिर जिलादारी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। अपना नाम हटा दिए जाने पर ऐसा व्यक्ति परिशिष्ट ए द्वारा प्रदान किए गए जिलादार उम्मीदवारों के पद पर नहीं रहता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 ने सभी असफल उम्मीदवारों को एक बार फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। इन सभी व्यक्तियों को जिलादार उम्मीदवार माना। वे सेवा के बहुत सदस्य थे और नियमों के परिशिष्ट ए द्वारा प्रदान किए गए उनके वजीफे/निश्चित वेतन से उन्हें इनकार नहीं किया जा सकता था।

(36) इसके अलावा, एक और शर्त जिसके लिए उम्मीदवारों को सहमत होना आवश्यक था कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने/परीक्षा के बाद सिविल प्रशिक्षण पूरा करने की स्थिति में सरकारी सेवा में सही नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे, वह भी अवैध थी। नियमों के परिशिष्ट बी में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने और प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद अंतिम रूप से उम्मीदवारों को जिलादार के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें उन सर्किलों में परिवीक्षा पर कार्यवाहक जिलादार या अतिरिक्त राजस्व क्लर्क के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिनसे वे जुड़े हुए हैं। नियम इस प्रकार विचार करते हैं कि जिलादार में से, परीक्षा और प्रशिक्षण में सफल होने वाले और उच्च ग्रेडिंग करने वाले उम्मीदवारों को रिक्तियां उपलब्ध होने पर परिवीक्षा पर कार्यवाहक जिलादार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अन्यथा, ऐसे सफल जिलादार उम्मीदवारों को उन सर्किलों में अतिरिक्त राजस्व क्लर्क के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिनसे वे जुड़े हुए हैं। याचिकाकर्ताओं को अपने हलफनामे में यह शर्त लगानी थी कि वे किसी पद पर नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे, जो नियमों में उपरोक्त प्रावधान की पूर्ण अस्वीकृति है। जिलादारी परीक्षा में सफल होने और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित नहीं किया गया और जिलादार उम्मीदवारों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया, जिससे बाद में वे बेरोजगार हो गए।

(37) मेरे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त दो अवैध शर्तों के लागू होने के कारण जो लोग पहली परीक्षा में असफल हो गए थे उनमें से कई दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वर्ष 1983 में आयोजित पहली परीक्षा, जिसका परिणाम पिछली रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, कानून के अनुसार नहीं हुई थी और मैंने उस परीक्षा के परिणाम को अनुबंध पी-2 में रद्द कर दिया है। 1984 का सीडब्ल्यूपी नंबर 746। इस परिणाम में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों में से किसी को भी दूसरी परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिला। अत: सभी जिलादार अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने का समान अवसर प्रदान नहीं किया गया। नतीजतन, मेरा मानना है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा घोषित दूसरी परीक्षा का परिणाम, - कार्यालय आदेश दिनांक 17 सितंबर, 1984 के अनुबंध पी. 4 से सीडब्ल्यूपी संख्या 3794, 1984 के तहत, नियमों के दायरे से बाहर है और इसलिए, शून्य है।

(38) सीडब्ल्यूपी. 1985 की संख्या 5646 और 1986 की 1421 पिछली रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई पहली और दूसरी जिलादारी परीक्षा की वैधता को चुनौती देती है। मैं पहले ही यह मान चुका हूं कि इन दोनों परीक्षाओं के परिणाम नियमों के दायरे से बाहर हैं और इसलिए अमान्य हैं।

(39) सीडब्ल्यूपी में. क्रमांक 4594 ऑफ 1985 और 677 ऑफ 1986 में तर्क यह है कि दूसरी जिलादारी परीक्षा में खतौनियों का प्रश्नपत्र गड़गड़ाहट से भरा था। बाद की रिट याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि उसे गलत तरीके से जीवन निर्वाह भत्ता अस्वीकृत कर दिया गया है। ऊपर पहले ही कहा जा चुका है कि दूसरी जिलादारी परीक्षा अवैध थी और उसका परिणाम भी अमान्य घोषित किया जा चुका है। चूंकि 1986 के सीडब्ल्यूपी नंबर 677 में याचिकाकर्ता चयनित उम्मीदवारों की सूची में बना रहा और जिलादार उम्मीदवार के रूप में सेवा में था, इस तथ्य के बावजूद कि उसने उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 द्वारा मांगे गए हलफनामे को प्रस्तुत किया, वह हकदार है रुपये के वजीफे / निश्चित वेतन का भुगतान करने के लिए। 550 प्रति माह.

(40) 1987 की सीडब्ल्यूपी संख्या 129 दूसरी परीक्षा में सफल उम्मीदवार द्वारा दायर की गई है जिसमें उत्तरदाताओं को उसे निर्वाह भत्ता/वजीफा/निर्धारित वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। ऊपर बताए गए कारणों से, वह उक्त भत्ते का हकदार है। हालाँकि, पहले की रिट याचिकाओं की सफलता के परिणामस्वरूप 1984 में आयोजित दूसरी जिलादारी परीक्षा का परिणाम सामने आया।
जिसमें वह सफल रहा वह शून्य माना जाएगा।

(41) यहां यह नोट किया गया है कि 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 730.£ में याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अतिरिक्त तर्क उठाया गया था कि पहली जिलादारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 61 में से 40 उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक दिए गए थे और वहां नियमों में अनुग्रह अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का रुख यह है कि नियमों के नियम 20 के तहत निहित शक्तियों के आधार पर सरकार द्वारा नियमों में छूट में अनुग्रह अंक की अनुमति दी गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैंने पहली परीक्षा के परिणाम को नियमों के विपरीत और अमान्य माना है, मैं इस प्रश्न पर जाना आवश्यक नहीं समझता। इसी प्रकार, 1985 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4594 में की गई एक अतिरिक्त प्रार्थना पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि खतौनी पेपर में याचिकाकर्ता को पांच अनुग्रह अंक की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस पेपर में सफल घोषित हो सके। ने दूसरी जिलादारी परीक्षा के परिणाम को नियमों के दायरे से बाहर और अमान्य करार दिया है।

(42) एएस) के परिणामस्वरूप; चर्चा में ऊपर की ओर से, 1मैं लागत सहित सभी 5€वीं रिट याचिकाओं को स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि-

(1) पहली जिलादारी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, - कार्यालय आदेश दिनांक 28 सितंबर, 1983 अनुबंध पी. 2 के तहत 1984 के सीडब्ल्यूपी संख्या 746 में नियमों के दायरे से बाहर है और इसलिए शून्य है;

(2) दूसरी जिलादारी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, - कार्यालय आदेश दिनांक 17 सितंबर, 1984 के तहत 1984 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3794 में अनुबंध पी. 4 नियमों के दायरे से बाहर है और इसलिए शून्य है; और

(3) सभी जिलादार उम्मीदवार, जो इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता हैं और इनमें से कुछ रिट याचिकाओं के प्रतिवादी हैं, जिलादार उम्मीदवारों के रूप में सेवा में बने हुए हैं और चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं और इस तरह वजीफा/निश्चित वेतन/निर्वाह के भुगतान के हकदार हैं। रुपये की दर से भत्ता. 550 प्रति माह पूरे I

मैं उत्तरदाताओं को आज से तीन महीने के भीतर प्रशासन नियमावली के पैरा 6.6 में निहित सरकारी निर्देशों के साथ पढ़े गए नियमों के परिशिष्ट बी के प्रावधानों के अनुसार जिलादारी परीक्षा आयोजित करने और उसके बाद दो महीने के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश देता हूं। परिणाम घोषित होने तक ये सभी जिलादार उम्मीदवार रुपये की दर से वजीफा/निश्चित वेतन/निर्वाह भत्ते के हकदार होंगे। 550 प्रति माह.

परिणाम घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों को नियमों के परिशिष्ट बी के अनुसार भूमि राजस्व विभाग में क्वानुंगोस के तहत प्रशिक्षण से गुजरना होगा और यदि अंतिम रूप से उम्मीदवार जिलादार के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उन्हें परिवीक्षा पर कार्यवाहक जिलादार या सर्कल में अतिरिक्त राजस्व क्लर्क के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जिससे वे जुड़े हुए हैं. परीक्षा में असफल होने वाले जिलादार अभ्यर्थियों का नाम परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से चयनित अभ्यर्थियों की सूची से हटा दिया जायेगा।

(43) प्रत्येक याचिका में रु. 500 लीव का भुगतान उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित

उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा